शुद्धिपत्र 2: बैंक के केन्द्रीय कार्यालय भवन, मुंबई में 12 यात्री लिफ्टों की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (डीएसआईटीसी)

8 जून, 2026 को सीपीपी पोर्टल और भारिबैं की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जारी की गई उक्त निविदा का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

	वर्तमान	संशोधित
1	सेक्शन (VI) - पहले बताया गया परिशिष्ट – दोष देयता अवधि: बैंक को आखिरी लिफ़्ट सौंपने की तारीख से बारह महीने।	**डीएलपी अवधि में संशोधन:** जब भी कोई एक लिफ़्ट या अधिक लिफ़्ट बैंक को सौंपी जाएगी, तो उस लिफ्ट/ उन लिफ्टों के लिए 'दोष देयता अवधि' (डीएलपी) उनके सौंपे जाने की तारीख से शुरू होगी। परिणाम स्वरूप, प्रत्येक लिफ़्ट के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा' (सीएएमसी) उसके 12 महीने की डीएलपी के समाप्त होने पर शुरू होगी। प्रशासनिक सुविधा के लिए, आखिरी लिफ़्ट सौंपे जाने पर, बैंक सभी लिफ़्ट के लिए एक ही सीएएमसी अवधि के तहत पहले किए गए अलग-अलग करारों के स्थान पर एकीकृत करार करने पर विचार कर सकता है।
2	सेक्शन (III) – पैरा 2.II – काम का संक्षिप्त विवरण - लिफ्ट के लिए 19 वर्ष की व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)	**सीएएमसी अवधि में संशोधन:** लिफ्ट की कुल अवधि को 15 वर्ष (1 वर्ष डीएलपी + 14 वर्ष सीएएमसी) कर दिया गया है। व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) की अवधि को **14 (चौदह) वर्ष** कर दिया गया है। निविदा दस्तावेज़ में जहां भी सीएएमसी की कोई दूसरी अवधि बताई गई है, उसे 14 वर्ष ही माना जाएगा।
3	सेक्शन (III) – पैरा 15 – निविदाओं का मूल्यांकन	**मल्टीप्लाई फ़ैक्टर में संशोधन:** चूंकि सीएएमसी की अवधि 14 वर्ष है, इसलिए निविदा के मूल्यांकन के लिए मल्टीप्लाई फ़ैक्टर F1 = 10.35 और F2 = 11.9 होगा।
4	सेक्शन (III) - पैरा 14.V – प्रतिभूति जमा का प्रकार: सीएएमसी अवधि के लिए पीबीजी	**सीएएमसी के पीबीजी में संशोधन**: पीबीजी की राशि, सीएएमसी के लिए उद्धृत कुल दरों (सभी लिफ्टों के लिए) के पहले वर्ष की राशि के 50% के बराबर होगी। इसके बाद, 14 वर्ष की सीएएमसी अवधि पूरी होने तक, इस बीजी की राशि हर वर्ष पहले वर्ष की पीबीजी राशि के 1/14वें भाग के बराबर कम होती जाएगी। संविदा की अवधि के दौरान संतोषजनक निष्पादन न होने पर बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

2. इसके अतिरिक्त, निविदा खोलने की तारीख 31 जुलाई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक और ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख/ समय 31 जुलाई, 2026 को दोपहर 2 बजे तक बढ़ा दी गई है।

3. निविदा की शेष सभी शर्तें और नियम, साथ ही बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त भी पूर्ववत रहेगा।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

दिनांक: 14 जुलाई 2026